

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह (बोकारो)।

नोटिस

प्रेषित,

- (1) श्री भूतनाथ मंडल पिता स्व० मदन मंडल
- (2) श्री छोटु मंडल पिता स्व० बुकेश्वर मंडल
- (3) अहिल्या देवी पति स्व० गोपाल चन्द्र मंडल
सभी साकिन- बांधडीह, थाना- जरीडीह
जिला बोकारो।

भूतनाथ मंडल पिता स्व० मदन मंडल

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भूतनाथ मंडल पिता स्व० मदन मंडल के द्वारा भू-सीमांकन वाद सं०- 105/2022-23 (मौजा- बांधडीह, खाता नं०- 18, प्लॉट नं०- 3313, रकबा- 53 डी०) आवेदन किया गया था, जिसका मापी के क्रम में (क) छोटु मंडल पिता स्व० बुकेश्वर मंडल (ख) गोपाल चन्द्र मंडल पिता स्व० भुनेश्वर मंडल के द्वारा आपत्ति किया गया। जिसके कारण मापी/सीमांकन कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि का पुनः मापी हेतु कार्यालय में भू-सीमांकन वाद सं०- 74/2023-24 ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में दिनांक- 10.05.2024 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित किया गया था, परंतु अधोहस्ताक्षरी के लोक सभा निर्वाचन 2024 के कार्य में व्यस्तता होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं किया जा सका।

अतः पुनः आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि में अपने दावे से संबंधित सभी मूल कागजात के साथ अपना पक्ष दिनांक- 06/06/2024 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि आवेदित भूमि का मापी/सीमांकन कार्य किया जा सके।

इसे सक्त ताकिद जाने।



मामला संख्या 74/2023-24 से

संबंधित है। 06/06/2024 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

भूतनाथ मंडल उप निवास

03/06/24

अंचल-निवास से लगे हैं।

अंगूठा निवास- निवास



वाद बन्द करे।